बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 220561, पटना   दिनांक 13-02-2015

ग्रा0वि0-

प्रेषक,

एस. एम राजू,

भा0प्र0से0

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक सह जिला पदाधिकारी,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

(पटना जिला को छोडकर)

विषय-: **मनरेगा अंतर्गत efms के क्रियान्वयन के संबंध में ।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि मनरेगा के कार्यान्वयन को प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है । इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा eFMS को पूर्णत :लागू करने हेतु निर्देश निर्गत है तथा इसका सतत अनुश्रवण भी किया जा रहा है ।

उक्त क्रम में सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/ नामित पदाधिकारी/ MIS पदाधिकारी/ को चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षित किया जा चुका है । साथ ही सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/ नामित पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया था कि वह अपने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी को DSC के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षित कर दें । आशा है कि तदनुसार प्रशिक्षण का कार्य किया जा चुका होगा ।

इस क्रम में विभागीय पत्रांक 219773 दिनांक 09-02-2015 (प्रति संलग्न) द्वारा मनरेगा अंतर्गत eFMS के क्रियान्वयन के संबंध में लेखापाल (मनरेगा) को Maker एवं लेखापाल (मनरेगा) की अनुपस्थिति में प्रखंड लेखापाल को Maker नामित किये जाने एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्व की भांति Cheker रहने के संबंध में निदेश निर्गत है ।

उक्त क्रम में निदेशित किया जाता है कि लेखापाल (मनरेगा) एवं प्रखंड लेखापाल को nrega soft एवं Digital signature Certificate (DSC) के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षित पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित करा दें ।

अनुलग्नक:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)

सचिव

13/2/15